मध्यप्रदेश शासन
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग
मंत्रालय

:: आदेश ::

भोपाल, दिनांक 4/11/2017

क्रमांक एफ 9-4/2016/सत्रह/मेडि-3 :: राज्य शासन एतद् द्वारा शासकीय सेवकों एवं उनके परिवार के आश्रित सदस्यों के उपचार/जांच हेतु राज्य के अंदर स्थित निजी चिकित्सालयों/संस्थाओं को नवीन मान्यता एवं मान्यता वृद्धि के संबंध में नीति का निर्धारण हेतु पूर्व में इस विभाग द्वारा जारी आदेश क्रमांक एफ 9-13/99/सत्रह/मेडि-3, दिनांक 02.02.2001 तथा 19.02.2006 एवं संचालनालय, स्वास्थ्य सेवायें का आदेश क्रमांक 4/एम.आर./चिमा./2001/1302, दिनांक 14.09.2001 के अनुक्रम में राज्य स्तरीय समिति की बैठक दिनांक 28.07.2016 में लिये गये निर्णय के परिप्रेक्ष्य में निम्नमानुसार नीति निर्धारित की जाती है -

1. केवल उन्हीं जांच एवं उपचार हेतु मान्यता दी जायेगी जिन जांच/उपचार की सुविधा जिला चिकित्सालयों एवं मेडिकल कालेजों में उपलब्ध नहीं है ।
2. मान्यता प्राप्त निजी चिकित्सालयों को उपचार एवं जांच की शासन द्वारा निर्धारित दरों को नोटिस बोर्ड पर प्रदर्शित करना आवश्यक है ।
3. मान्यता प्राप्त निजी चिकित्सालयों का निरीक्षण एवं जांच संचालक चिकित्सा सेवायें व उनके द्वारा अधिकृत अधिकारी समय-समय पर जांच करेगें कि समस्त सुविधायें उपयुक्त स्तर की है या नहीं ।
4. मान्यता प्राप्त निजी चिकित्सालयों द्वारा शासकीय कर्मचारियों एवं उन पर आश्रित सदस्यों से रजिस्ट्रेशन शुल्क नहीं लिया जायेंगा ।
5. जिन निजी चिकित्सालयों ने National Accrediation Board for Hospital & Healthcare Providers (NABH) से अधिमान्यता प्राप्त कर ली है, उन्हें एन.ए.बी.एच. अधिमान्यता अवधि तक अधिकतम शासन द्वारा स्वीकृत प्रतिपूर्ति दरों पर जांच/उपचार दिये जाने की मान्यता प्रदान की जायेगी ।
6. नवीन मान्यता हेतु उन्हीं निजी चिकित्सालयों के प्रकरण समिति के समक्ष प्रस्तुत किये जाये जिन्होंने National Accrediation Board for Hospital & Healthcare Providers (NABH) की अधिमान्यता का प्रमाण पत्र प्राप्त कर लिया हो ।
7. संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें के आदेश क्रमांक 4/एम.आर./चिमा/2001/1302, भोपाल दिनांक 14.09.2001 के बिंदु क्रमांक 3 में आंशिक संशोधन करते हुये नवीन मान्यता हेतु रोगी कल्याण समिति के कोष/लेखा/खाते में जमा की जाने वाली राशि रूपये 10,000/- (रूपये दस हजार मात्र) से बढ़ाकर रूपये 50,000/- (रूपये पचास हजार मात्र) निर्धारित की जाती है एवं मान्यता वृद्धि हेतु रोगी कल्याण के कोष/लेखा/खाते में जमा की जाने वाले राशि रूपये 3000/- (रूपये तीन हजार मात्र) से बढ़ाकर रूपये 25,000/- (रूपये पच्चीस हजार मात्र) की निर्धारित की जाती है ।

8. निजी चिकित्सालयों की मान्यता/मान्यता वृद्धि संबंधित आगामी बैठकें त्रैमासिक की जावेगी ।

(गिरीश कुमार भोगी)
अवर सचिव
मध्यप्रदेश शासन
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग

पृष्ठांकन क्रमांक एफ 9-04/2016/सत्रह/मेडि-3 भोपाल, दिनांक 4/4/2017

प्रतिलिपि :

1. प्रमुख सचिव, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, वल्लभ भवन, भोपाल, म.प्र. ।
2. निज सचिव, मंत्री, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग ।
3. निज सचिव, राज्य स्वास्थ्य मंत्री, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग ।
4. आयुक्त, स्वास्थ्य सेवायें, भोपाल, मध्यप्रदेश (कृपया आदेश वेबसाईट पर अपलोड कराने का कष्ट करें) ।
5. समस्त संचालक, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, मध्यप्रदेश ।
6. समस्त कलेक्टर, मध्यप्रदेश ।
7. समस्त अधिष्ठाता, चिकित्सा महाविद्यालय, मध्यप्रदेश ।
8. समस्त संभागीय संयुक्त संचालक, स्वास्थ्य सेवायें, मध्यप्रदेश ।
9. समस्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, मध्यप्रदेश ।
10. समस्त सिविल सर्जन, सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक, मध्यप्रदेश ।

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित ।

अवर सचिव
मध्यप्रदेश शासन
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग

संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें
सतपुड़ा भवन, भोपाल (म.प्र.)
10 APR 2017
आवक क्रमांक 822

DD(MR) upload on website